

## पर्यावरण के लिए खतरनाक

रमा देवी मेहता  
राजसं; रुड़की

पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा फ्रीज, एसी. में भरी जाने वाली क्लोरो फ्लोरो गैसों को ओजोन परत के लिए खतरनाक बताने के बाद केन्द्र सरकार ने इसे तुरंत प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया है। बावजूद इसके ए.सी. निर्माता कंपनियां आज भी इसी गैस का उपयोग कर रही हैं। केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अब क्लोरो फ्लोरो के स्थान पर हाईड्रो फ्लोरो गैसों को मान्यता दी है, किन्तु दोनों गैस के बीच कीमत के फासले की वजह से आज भी इन गैसों का उपयोग नहीं किया जाता। शहरों में फ्रीज, एसी की सर्विसिंग का कम करने वाले स्थानीय एवं निर्माता कंपनियों के सर्विस सैन्टरों पर आज भी क्लोरो फ्लोरो गैसों की सैकड़ों बाटली खाली हो जाती हैं, किन्तु आज तक न तो प्रशासन ने कभी इन पर कार्रवाई की और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी परवाह है। यहां तक की पीसीबी के अधिकारी इस तरह की प्रतिबन्धित गैसों का उपयोग होने से अनभिज्ञ हैं।

ओजोन को तोड़ती है ये गैसें- प्रतिबन्धित गैस, जिसमें क्लोरीन गैस होती है जो ऊपर जाकर ओजोन से क्रिया कर ऑक्सीजन बनाती है। इस क्रिया में ओजोन टूटती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। ये गैसें प्रतिबन्धित हैं-

पूर्व में रेफ्रिजरेटर, आईसक्रीम केबिनेट, वाटर कूलर, एसी, कन्ट्रोल पैनल में भरी जाने वाली गैसों में सीएफसी12, सीएफसी11, एचसीएफसी22, एचसीएफसी141बी को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसी तरह मेटल क्लीनिंग तथा टैक्सटाईल्स वाशिंग के काम आने वाली गैसें सीटीसी तथा कोटिंग कार्य में उपयोग की जाने वाली गैस सीएफसी113 और अग्निशमन यंत्रों में आग बुझाने वाली गैस एच1211, एच1301, एच2402 को भी प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

### पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृत गैस-

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जिन नई गैसों का उपयोग करने की अनुमति दी गई, उनमें फ्रीज के लिए एचएफसी-134, एचसी-290 और एचसी-600 एयरकंडीशन के लिए एचएफसी-134ए, आर-407सी, आर-410ए, एचसी-290, सेंट्रल एसी प्लांट के लिए एचएफसी 134ए, एचसी 600ए, अमोनिया 410ए, 407सी तथा अग्निशमन यंत्रों के लिए कार्बन डाई आक्साईड, एचएफसीएस, एनएएफ-एसआई को पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति दी गई है।

### कानूनी कार्रवाई के आदेश-

भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित इस गैस का उपयोग करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था पर भारतीय पर्यावरण अधिनियम की धारा के तहत अर्थदंड तथा सजा की कार्रवाई की जानी चाहिए।

\*\*\*\*\*